

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-04/2020 आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी एवं 05/2020 (आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक)) के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक-08.02.2022 से 15.02.2022 तक आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों (आवेदन भरने की तिथि 29.09.2020 से 28.10.2020 तक पुनः दिनांक-22.10.2021 से 02.11.2021 तक एवं पुनः दिनांक-10.12.2021 से 17.12.2021 तक) एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.-572/2022 एवं LPA No.-573/2022 में पारित आदेश तथा स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-425(आ०चि०), दिनांक-10.05.2023 एवं पत्रांक-479(आ०चि०), दिनांक-25.05.2023 से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक-08.08.2023 से 09.08.2023 तक आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों (आवेदन भरने की तिथि 22.06.2023 से 01.07.2023 तक) का प्राप्तांक उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के वेबसाइट-www.btsc.bih.nic अथवा विज्ञापन सं०-04/2020 हेतु इस लिंक पर (<http://103.75.167.252/AYURVEDIC>) एवं विज्ञापन सं०-05/2020 हेतु इस लिंक पर (<http://103.75.167.252/AYURVEDICPHY>) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट/असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित दिनांक-31.08.2023 से 07.09.2023 को संध्या 06:00 बजे तक आयोग के वेबसाइट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

नोट:- वैसे अभ्यर्थी, जो विज्ञापन सं०-04/2020 एवं विज्ञापन सं०-05/2020, दोनों विज्ञापनों के काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं वैसे अभ्यर्थियों को यदि आपत्ति हो तो विज्ञापनवार अलग-अलग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

उक्त Online Objection के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०ए०एम०एस० (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो को मान्य किया गया है।
2. अनिवार्य इण्टर्नशीप प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अमान्य (Disqualified) किया गया है।
3. बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद से निबंधन का प्रमाण-पत्र अथवा Acknowledgement रसीद प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अमान्य (Disqualified) किया गया है।
4. स्नाकोत्तर उपाधि/उच्चतर उपाधि के लिए (एम०डी०/एम०एस० (आयुर्वेदिक) या इससे उच्चतर उपाधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर योग्यता का अंक नहीं दिया गया है।

5. बिहार सरकार के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों/औषधालयों में संविदा के आधार पर नियुक्ति के उपरांत कार्यरत चिकित्सकों को कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्यानुभव का अंक दिया गया है।
6. ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
7. दिनांक-08.02.2022 से 15.02.2022 तक आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों हेतु सभी प्रमाण-पत्रों की निर्गत तिथि आवेदन की अंतिम तिथि 17.12.2021 से पूर्व का निर्गत होना अनिवार्य है एवं साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.-572/2022 एवं LPA No.-573/2022 में पारित आदेश तथा स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-425(आ०चि०), दिनांक-10.05.2023 एवं पत्रांक-479(आ०चि०), दिनांक-25.05.2023 से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक-08.08.2023 से 09.08.2023 तक आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों हेतु सभी प्रमाण-पत्रों की निर्गत तिथि आवेदन की अंतिम तिथि 01.07.2023 से पूर्व का निर्गत होना अनिवार्य है।
8. दिनांक-08.02.2022 से 15.02.2022 तक आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों हेतु कार्यानुभव प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तिथि 17.12.2021 तक का निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.-572/2022 एवं LPA No.-573/2022 में पारित आदेश तथा स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-425(आ०चि०), दिनांक-10.05.2023 एवं पत्रांक-479(आ०चि०), दिनांक-25.05.2023 से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक-08.08.2023 से 09.08.2023 तक आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों हेतु कार्यानुभव प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तिथि 01.07.2023 तक का निर्गत होना अनिवार्य है। **सभी अभ्यर्थियों के कार्यानुभव की गणना दिनांक-28.10.2020 तक की गई है।**
9. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) प्रस्तुत नहीं करने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
10. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
11. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
12. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा संक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
13. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

नोट:- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधासूची प्रकाशित की जा सकेगी।

2. संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।